युवाओं को नई दिशा देता स्किल इंडिया

—ललन कुमार महतो

सरकार द्वारा आरम्भ की गई कौशल विकास योजना का लक्ष्य खासकर ग्रामीण युवाओं को रोजगार के योग्य कौशल प्रदान करते हुए रोजगार के लिए तैयार करना है। इस मिशन का लक्ष्य 2022 तक 40 करोड़ से अधिक लोगों को कौशल प्रदान करना तथा उनकी पसंद के कौशलों का प्रशिक्षण देते हुए उनकी रोजगार संबंधी योग्यता को बढ़ाना है। कौशल प्रदान की प्रक्रिया में निजी क्षेत्र, गैर-सरकारी संगठनों, स्थानीय स्तर पर पंचायती राज संस्था, कौशल प्रशिक्षण के अनुभव वाले शिक्षण संस्थानों को जुटना पड़ेगा। इसमें सभी वर्गों को समान महत्व दिए जाने की आवश्यकता है।

जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ है, जिसमें 67.2 करोड़ व्यक्ति 15–59 वर्ष की आयु के हैं, जिन्हें सामान्यता कार्यशील जनसंख्या माना जाता है। इनमें से लगभग 25 करोड़ व्यक्ति 15 से 24 वर्ष की आयु के हैं जो वर्ष 2011 की कुल जनसंख्या का 21 प्रतिशत है। यदि देश की ग्रामीण–शहरी संरचना पर ध्यान दिया जाए तो आर्थिक विश्लेषकों का मानना है कि भविष्य में भारत को समग्र सामाजिक–आर्थिक तरक्की के नए सोपानों तक पहुंचाने में ग्रामीण भारत की ही सबसे अहम भूमिका होगी, क्योंकि आगामी कुछ वर्षों में कार्यशील युवाओं का सबसे बड़ा हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों से ही होगा, जिसकी संख्या वर्ष 2050 तक लगातार बढ़ेगी। कुल ग्रामीण आबादी में जहां 51.73 प्रतिशत आबादी 24 साल से कम है, वहीं शहरी आबादी में इसकी हिस्सेदारी 45.9 प्रतिशत है। यदि गांवों में उचित उद्यमीय शिक्षण–प्रशिक्षण एवं रोजगार की व्यवस्था करके कार्यशील आबादी के पलायन को रोका जाए, तो आने वाले समय में ग्रामीण भारत ही सर्वाधिक जनाकिकीय लाभांश की स्थिति में होगा। इस समय देश की कुल आबादी में 49.91 प्रतिशत की हिस्सेदारी 24 साल से कम आयु वर्ग वालों की है और 47.2 करोड़ लोग 18 वर्ष से कम आयु वाले हैं।

स्किल इंडिया कार्यक्रम

अपनी कार्यशील जनसंख्या का गुणवत्तापूर्ण उपयोग करने के उद्देश्य से संप्रग सरकार ने वर्ष 2009 में 'राष्ट्रीय कौशल विकास नीति' जारी की थी, इस नीति के अनुसार, वर्ष 2022 तक 50 करोड़ उच्च स्तर के कुशल व्यक्तियों को तैयार करने का लक्ष्य रखा गया था। इस नीति के अंतर्गत 'राष्ट्रीय कौशल विकास परिषद' के द्वारा बड़ी संख्या में गुणवत्तापरक संस्थाओं का सृजन करके उनके जरिए 15 करोड़ लोगों को प्रशिक्षित करके कुशल कामगार बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। शेष 35 करोड़ लोगों को प्रशिक्षित करने के लिए केन्द्र सरकार के 18 विभागों द्वारा उपाय शुरू किए जाने थे। अब आंशिक बदलाव के साथ देश की युवा शक्ति को वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए कौशल एवं योग्यता उपलब्ध कराने हेतु 'राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन' की शुरुआत तथा 'नई कौशल विकास एवं उद्यमिता नीति' की घोषणा प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 15 जुलाई, 2015 को की। जननांकिकीय लाभांश के संदर्भ में कौशल विकास के सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए 'कौशल विकास एवं उद्यमिता विभाग' का प्रोन्नयन 'कौशल विकास' एवं 'उद्यमिता मंत्रालय' के रूप में 9 नवम्बर, 2014 में किया गया था। इस मंत्रालय की पहल पर 'नेशनल मिशन फॉर स्किल डवलपमेंट' (एनएमएसडी) की शुरुआत की गई है। मिशन के कार्यान्वयन के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में शीर्ष स्तर पर एक प्रशासनिक परिषद, एक स्टीयरिंग कमेटी व एक मिशन निदेशालय की स्थापना की जाएगी। मिशन निदेशालय को राष्ट्रीय कौशल विकास अभिकरण (एनएसडीए), राष्ट्रीय

कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) तथा डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग (डीजीटी) का समर्थन प्राप्त रहेगा, शीर्ष स्तर पर मिशन की प्रशासनिक परिषद के अध्यक्ष स्वयं प्रधानमंत्री होंगे।

देश में दक्ष एवं कुशल श्रमशक्ति की कमी को देखते हुए प्रधानमंत्री ने 15 जुलाई,2015 को पहले विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर इस मिशन का उद्घाटन किया। इसके तहत वर्ष 2022 तक 40 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित करने हेतु क्षमताओं का सृजन किया जाएगा। इस मिशन का लक्ष्य भारत में कौशल विकास के प्रयासों को परिणामोन्मुखी बनाने हेतु नियोक्ताओं और नागरिकों की आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए निम्न उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है :–

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेयूवाई) भारत सरकार की परिणाम आधारित फ्लैगशिप कौशल विकास योजना है जो राष्ट्रीय कौशल विकास संस्थान (कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय) द्वारा जारी की गई है।

- कौशल विकास के क्रियान्वयन के लिए एक सटीक रणनीति बनाना जिसमें जीवनभर सीखने लायक माहौल बनाया जा सके।
- इस कौशल प्रमाणन एवं प्रोत्साहन स्कीम का लक्ष्य अधिकाधिक युवाओं को कौशल प्रशिक्षणों के लिए योग्य बनाना एवं उत्साहित करना है।
- कौशल विकास तंत्र में सुयोग्य शिक्षक और प्रशिक्षकों का एक बैंक बनाना और उसके लिए प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना करना।
- मौजूदा सार्वजनिक बुनियादी ढांचे और औद्योगिक संरचना को कौशल विकास के काम में लाना, ताकि क्षमता का निर्माण किया जा सके।
- ऐसी व्यवस्था करना कि वैश्विक मानकों के अनुरूप श्रम बल सृजित कर हम अपने कुशल कामगारों को विश्व में कही भी भेजने की व्यवस्था कर सके।
- एक साख स्थानांतरण तंत्र की व्यवस्था करना, जिसके द्वारा वोकेशलन प्रशिक्षण तंत्र और औपचारिक शिक्षण तंत्र के बीच पुल बनाया जा सकें।
- केन्द्रीय–स्तर से राज्य तक समस्त क्रियान्वयन एजेंसियों के बीच समन्वय और संचयन को बढ़ावा देना।
- परिणाम–केन्द्रित प्रशिक्षण की व्यवस्था करके नियोक्ताओं की मांग और श्रमिक उत्पादकता को संयोजित करना।
- कुछ प्रमुख असंगठित क्षेत्रों में कौशल विकास के लिए क्षमता निर्माण करना और अंततः इनके ज्ञान का उन्नयन करना, ताकि वे औपचारिक क्षेत्र में रोजगार के लायक बन सकें।
- पर्याप्त गुणवत्तायुक्त, दीर्घावधिक और वैश्विक मानकों के अनुरूप कौशल मुहैया करवाना, जो अंततः उच्च कौशल से परिपूर्ण श्रमबल का निर्माण कर सकें।
- लक्षित कार्यक्रमों के माध्यम से समाज के दुर्बल एवं वंचित लोगों को कौशल विकास की गतिविधियों से जोड़ना।
- कौशल प्रशिक्षण पर सामाजिक जागरुकता अभियान चलाकर युवाओं में कौशल के प्रति आकांक्षा का भाव पैदा करना, जो देश में मांग और पूर्ति के बीच एक पुल का काम करेगा।

लक्ष्य

भारत की राष्ट्रीय कौशल विकास नीति में वर्ष 2022 तक लगभग 40 करोड़ लोगों को कौशल प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा गया है। सबसे बड़ी चुनौती तो इतनी बड़ी संख्या में युवाओं को कौशल प्रदान करने की है। संभवतः यह किसी भी देश द्वारा शिक्षा एवं प्रशिक्षण के क्षेत्र में अब तक निर्धारित लक्ष्यों में सबसे बड़ा लक्ष्य है। इतने बड़े लक्ष्य की प्राप्ति केवल सरकार के प्रयासों से नहीं हो सकती है। संपूर्ण राष्ट्र के सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता है। अकादमिक जगत, उद्योग, सरकारी, निजी संस्थाएं, समाज, नीति–निर्धारक, रोजगार प्रदाताओं, पंचायती राज संस्था, स्वयंसेवी संगठन, प्रशिक्षकों, युवाओं, अभिभावकों सभी को मिलकर कार्य करना होगा। प्रत्येक व्यक्ति या तो प्रशिक्षण प्राप्त करे या प्रशिक्षण की प्रक्रिया में उर्वरक के रूप में सहभागिता निभानी होगी।

15 जुलाई,2015 को घोषित 'कौशल विकास एवं उद्यमिता के लिए राष्ट्रीय नीति 2015' सफल कौशल रणनीति की कुंजी के रूप में उद्यमिता को प्रोत्साहन देने के लिए एक प्रभावी योजना की जरूरत को स्वीकार करती है। इस नीति के दृष्टिपत्र में कहा गया है कि ''बड़े पैमाने पर और तीव्रगति से उच्च गुणवत्तापूर्ण परिस्थिति का निर्माण कर युवा सशक्तीकरण को बढ़ावा देना और उद्यमिता पर आधारित आविष्कार की संस्कृति को बढ़ावा देना जिससे पूंजी और रोजगार का सृजन हो सके और देश के सभी नागरिकों के लिए एक टिकाऊ आजीविका सुनिश्चित कर सकें।'' इस विज़न को प्राप्त करने के लिए नीति के चार प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। यह नीति कम अपेक्षित मूल्य, औपचारिक शिक्षा से एकीकरण का अभाव, निष्कर्ष पर ध्यान देने का अभाव, प्रशिक्षण के लिए बेहतर बुनियादी सुविधाओं और प्रशिक्षकों के अभाव सहित कौशल सहित संबंधी प्रमुख बाधाओं को दूर करती है। यह नीति वर्तमान त्रुटियों को दूर करते हुए, उद्योग से संबंध को बढ़ावा देते हुए, गुणवत्तापूर्ण विश्वसनीय प्रारूप के परिचालन, प्रौद्योगिकी को बल प्रदान करने और प्रशिक्षण के व्यापक अवसरों को बढ़ावा देते हुए कौशलों के लिए आपूर्ति एवं मांग को व्यवस्थित रखती है।

इस नीति का मुख्य उद्देश्य सभी युवाओं को कौशलपूर्ण बनाकर सशक्त करना है, ताकि वह अपनी सभी क्षमताओं से अवगत हो सकें, आजीवन अनुभव प्रक्रिया से सीख सकें। उद्यमशीलता एवं कौशल विकास की प्रक्रिया में यह नीति निम्न घटकों को प्रोत्साहन प्रदान करेगी :–

- उद्यमशीलता की संस्कृति को बढ़ावा देना और उसे आकांक्षाओं से जोड़ना।
- औपचारिक शिक्षण तंत्र से उद्यमशीलता की पढ़ाई को जोड़ना।
- जनसांख्यिकीय पिरामिड में सबसे निचले स्तर पर सामाजिक उद्यमियों को फलने–फूलने का अवसर प्रदान करना।
- प्रचार द्वारा उद्यमशीलता को एक संभव कैरियर अवसर के रूप में स्थापित करना।
- प्रवेश और निकास की बाधाओं को दूर कर व्यवसाय करने की परिस्थितियों को आसान बनाना।
- साख और बाजार सम्पर्क द्वारा वित्त की व्यवस्था करना।
- महिलाओं में व्यवसाय और उद्यमशीलता को बढ़ावा देना।
- सामाजिक और भौगोलिक रूप से हाशिए के लोगों–दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों और विकलांगों के लिए उद्यमिता आधार को विस्तृत करना और उसके लिए विशेष उपाय करना।

कौशल विकास योजना – कौशल को प्रमाण और पुरस्कार द्वारा भारतीय युवाओं को परिणाम केन्द्रित कौशल प्रशिक्षण और उसके परिणामस्वरूप उन्हें रोजगार के लायक बनाया जाएगा, एनएसडीसी द्वारा क्रियान्वित इस योजना के द्वारा 24 लाख लोगों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। योजना के प्रशिक्षुओं को उनके प्रशिक्षण, आकलन और सम्बद्ध प्रशिक्षण प्रदाताओं के प्रमाणीकरण के बाद डीबीटी के माध्यम से पुरस्कार दिया जाएगा। कुल 1500 करोड़ रुपये की लागत वाली इस योजना में 1120 करोड़ रुपये 14 लाख युवाओं को प्रशिक्षित करने हेतु, करीब 220 करोड़ रुपये पहले सीखने वाले युवाओं की पहचान पर विशेष बल देने हेतु 67 करोड़ रुपये कौशल प्रशिक्षण के विषय में जागरुकता हेतु और 150 करोड़ रुपये उत्तर–पूर्व क्षेत्र के युवाओं को प्रशिक्षित करने में व्यय किये जाएंगे।

इस स्कीम के अंतर्गत सफल प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले उन प्रशिक्षुओं को प्रोत्साहन राशि सीधे बैंक खाते में जमा की जाएगी जो मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण केन्द्रों द्वारा प्रशिक्षण ले रहे हैं। पारदर्शिता और उद्देश्यधर्मिता के मद्देनजर प्रशिक्षण केन्द्र एवं मूल्यांकन निकाय अलग–अलग बनाए जाएगे ताकि दोनों के कार्यों में कोई विरोधाभास न हो। प्रोत्साहन राशि कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा दी जाएगी और लाभार्थी के बैंक खाते में सीधे जमा की जाएगी। इस योजना की मुख्य विशेषताएं निम्न प्रकार हैं :–

- मौजूदा श्रम बल की उत्पादकता बढ़ाना और देश की जरूरतों के अनुसार से प्रशिक्षण और प्रमाणन देना।
- कौशल प्रमाणन के लिए युवाओं को तरह–तरह से प्रोत्साहित करना और उन्हें वित्तीय मदद देना।
- प्रमाणन प्रक्रिया का मानकीकरण करना और कौशल पंजीकरण की शुरुआत करना।
- कौशल प्रशिक्षण पाने वाले युवाओं को अधिकृत संस्थानों द्वारा औसतन 8000 रुपये प्रति उम्मीदवार के हिसाब से पुरस्कृत करना।
- कौशल प्रशिक्षण का तीसरी पार्टी से आकलन करवाना जोकि राष्ट्रीय और वैश्विक–स्तर का हो।
- प्रशिक्षण देते समय श्रम बाजार में नवप्रवेशी और 10वीं एवं 12वीं की पढ़ाई बीच में छोड़ने वाले छात्रों को प्रशिक्षित करने पर विशेष ध्यान देना।
- परामर्श सहायता कार्यक्रम के तहत् उन प्रशिक्षुओं की मदद लेना जिन्होंने अपना कौशल पूरा कर लिया है और नौकरी की तलाश में हैं।
- प्रशिक्षण संस्थाओं के प्रशिक्षण स्थलों के एक निश्चित मानक एवं पाठ्यक्रमों को सत्यापित करने और उनका रिकॉर्ड रखने हेतु कौशल विकास प्रबंधन प्रणाली (एसडीएमएस) का गठन करना।
- प्रशिक्षण के दौर से गुजर रहे सभी प्रशिक्षुओं का आकलन के समय फीडबैक लेना।
- कौशल प्रशिक्षण के विषय में जागरुकता फैलाने के लिए राज्य सरकारों, स्थानीय निकायों एवं समुदाय आधारित संगठनों के सहयोग से स्थानीय–स्तर पर कौशल मेला आयोजित करना।

प्रधानमंत्री कौशल विकास फैलोशिप

प्रधानमंत्री कौशल विकास फैलोशिप उन युवा पेशेवरों के लिए तीन वर्ष तक काम करते हुए सीखने का अवसर है, जिनकी राज्य और जिला–स्तर पर कौशल के क्षेत्र में काम करने में रुचि है। फैलो को चुने गए जिलों में एसएसडीएम और जिला प्रशासन की सहायता करनी होगी तथा प्रमुख कौशल विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में तथा कौशल विकास/प्रशिक्षण कार्यक्रमों में युवाओं की अधिक सहभागिता सुनिश्चित करने में कौशल विकास सहयोगी के रूप में काम करना होगा। इसके लिए फैलो के बुद्धिमान एवं प्रेरित होने की अपेक्षा है, लेकिन जिनके पास अनुभव की कमी है, उन्हें इस प्रक्रिया और सीखने के अनुभव एवं कार्यक्रमों द्वारा कार्यक्रम क्रियान्वयन की क्षमता अपने भीतर

विकसित करने, व्यावहारिक अनुभव प्राप्त करने एवं स्वयं को प्रेरित करने तथा जीवन के लक्ष्य ढूंढने का मौका मिलेगा। इससे उन्हें बेहतर सक्षम कौशल विकास सहयोगी (फैसिलिटेटर) बनने में मदद मिलेगी, जिनकी 'सबका साथ सबका विकास' का सरकार का ध्येय पूरा करने के लिए बहुत अधिक आवश्यकता है। इस प्रकार योजना के दोहरे उद्देश्य हैं, जिसमें आजीविका के सम्मानजनक साधन उपलब्ध कराने के लिए चुने गए जिलों में एसएसडीएम और जिला प्रशासन को अल्पअवधि के लिए उत्प्रेरक के समान सहयोग प्रदान करना है और कौशल विकास सहयोगियों का समूह तैयार करना है, जो आगे चलकर एसएसडीएम के लिए पूरी तरह संसाधन होगा।

प्रधानमंत्री जिला कौशल विकास फैलो के मुख्य निम्न दायित्व होंगे

- जिले में कौशल विकास कार्यक्रम के समन्वय एवं क्रियान्वयन में जिला प्रशासन/एसएसडीएम/एनएसडीए की सहायता करना (जिला विशेष के लिए कार्य योजनाएं तैया र करना, आरम्भ करना एवं प्रगति की समीक्षा करना, रोजगार मेला आयोजित करना आदि)।
- जिला स्तर पर सभी कौशल विकास योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद करना।
- युवाओं की आवश्यकताओं एवं कौशल के बीच अंतर को सुनिश्चित करने के लिए ब्लॉक–स्तर पर सामाजिक–आर्थिक विश्लेषण करना।
- ग्रामीण युवा क्लबों एवं जिले के अन्य युवा संगठनों, सामान्य सेवा केन्द्रों तथा जमीनी–स्तर की इकाइयों को कौशल विकास कार्यक्रमों के साथ बेहतर तरीके से जोड़ना ताकि जिला–स्तर पर युवाओं को कौशल विकास कार्यक्रमों का पूरा लाभ देने के लिए उनमें जागरुकता उत्पन्न की जा सके।
- लोगों को कौशल विकास के लिए लाने एवं पंजीकृत करने हेतु योजनाएं क्रियान्वित करना।
- जिले में एएमएसएमई इकाइयों के प्रत्येक समूह के लिए आवश्यक कौशलों को समझना एवं पहचानना तथा उनकी आवश्यकता के अनुरूप कार्यक्रम तैयार करना।
- स्थानीय एवं ग्रामीण युवाओं को राज्य के भीतर ही रोजगार दिलाने तथा राज्य में ही बाजार से उन्हें जोड़ने के लिए प्रक्रिया तैयार करना।
- प्रशिक्षण, प्रमाणन एवं प्रशिक्षुओं को रोजगार अथवा स्वरोजगार दिलाने में जुटी क्रियान्वयन एजेंसियों एवं अन्य संस्थाओं द्वारा प्रशिक्षण के अधिक उचित तरीके ढूंढने के लिए अनुसंधान करना।
- उभरते हुए अवसरों के बारे में जानकारी का प्रसार सुनिश्चित करने के लिए जिले में अनूठे, परिणामोत्पादक जागरुकता कार्यक्रम तैयार करना और क्रियान्वित करना।
- जिले में चल रहे कौशल विकास कार्यक्रमों के बारे में एसएसएडीएम को प्रतिक्रिया देना और ऋण की व्यवस्था के लिए बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं से मिलकर काम करना।

राष्ट्रीय कौशल विकास निकाय (एनएसडीए)

यह भारत सरकार के कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संस्था है, जो भारत सरकार एवं निजी क्षेत्र द्वारा कौशल विकास के क्षेत्र में किए जाने वाले कार्यों में समन्वय स्थापित करने का कार्य करती है। एक सोसायटी के रूप में इसकी स्थापना 6 जून,2013 को हुई थी, इसके प्रमुख कार्य निम्न प्रकार हैं:–

- राष्ट्रीय कौशल गुणवत्ता फ्रेमवर्क का परिचालन एवं क्रियान्वयन करना।
- राष्ट्रीय श्रम बाजार सूचना प्रणाली का अभिकल्पन एवं क्रियान्वयन करना।
- कौशल गुणवत्ता की संरचना में सन्निहित, गुणवत्ता सुनिश्चितीकरण फ्रेमवर्क की स्थापना एवं परिचालन करना। इसमें प्रशिक्षण, मूल्यांकन एवं प्रमाणीकरण प्रक्रियाओं और निकायों के लिए एक ढांचा स्थापित करना भी शामिल है।
- गुणवत्ता सुनिश्चितीकरण फ्रेमवर्क का पालन करने वाली क्षेत्रक कौशल निकायों द्वारा प्रदान किए जाने वाले प्रमाणपत्रों पर 'स्किल इंडिया' लोगो के प्रयोग को बढ़ावा देना।
- प्रधानमंत्री कौशल विकास फैलो कार्यक्रम को सहारा देना।

राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी)

कम्पनी अधिनियम,1956 की धारा 25 के तहत वित्त मंत्रालय द्वारा गठित एक गैर लाभ अर्जक कम्पनी है। वर्ष 2008 में स्थापित यह देश में कौशल एवं शिक्षा के क्षेत्र में सार्वजनिक–निजी भागीदारी का पहला उदाहरण है, जिसमें निजी क्षेत्र का हिस्सा 51 प्रतिशत तथा शेष 49 प्रतिशत का नियंत्रण भारत सरकार के अधीन है। अनुदान और प्रोत्साहन प्रदान करने, समर्थन सेवाओं को सक्षम बनाने और आकार निर्माण करने में अहम् भूमिका निर्वहन करने वाला यह निगम 21 उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों और असंगठित क्षेत्र पर ध्यान केन्द्रित कर रहा है। इसके प्रमुख कार्य निम्न प्रकार हैं:–

- उद्योग एवं व्यवसाय के साथ सम्पर्कों को बढ़ावा देना।

- ऋण इक्विटी एवं अनुदानों को सम्मिलित रूप से प्रदत्त सहायता द्वारा बाजार आधारित मापनीय व्यवसाय के सृजन को उत्प्रेरित करना।
- क्षेत्रक कौशल परिषदों की स्थापना कराना।
- कौशल वाउचर कार्यक्रम लागू करना।
- राज्य एवं क्षेत्रक विशिष्ट कौशल परिषदों के साथ मिलकर प्रशिक्षण प्रदान करने वाले प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु उत्कृष्ट प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना करना।
- उद्योग जगत के साथ समन्वय करते हुए श्रमिकों के कौशल को अंतर्राष्ट्रीय–स्तर का बनाना तथा कौशल विकास के विषय एवं उनके गुणवत्ता–स्तर को बनाने के लिए मूलभूत ढांचा तैयार करना।
- कौशल विकास पर केन्द्रित निजी इकाइयों के साथ समन्वय कर समर्थन देना और ऐसा करते हुए निजी और सरकारी क्षेत्र के समन्वय की मिसाल कायम करना।
- ऐसी योजनाओं को प्राथमिकता देना जो सार्वभौमिक उत्प्रेरक का कार्य कर सकें।
- समाज के पिछड़े वर्गों और अविकसित क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित करते हुए उन्हें गरीबी रेखा से ऊपर लाने का भरसक प्रयास करना।
- नियंत्रणहीन क्षेत्रों में बाजार के नियंता की भूमिका अदा करना।

कौशल विकास कार्यक्रम को सफल बनाना

कौशल विकास कार्यक्रम की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि उपलब्ध प्रशिक्षण विकल्पों से संबंधित समस्त जानकारी का व्यापक प्रचार–प्रसार हो। ग्रामीण–स्तर पर स्थानीय जनप्रतिनिधि सभाएं बुलाकर "कौशल विकास कार्यक्रम" के बारे में युवाओं को प्रेरित कर सकते हैं। गांवों के विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं सरकारी–स्तर पर चल रहे रोजगार केन्द्रों द्वारा इस ओर कार्य किया जा सकता है। ये समय–समय पर कौशल विकास कार्यक्रमों की प्रकृति, उपलब्धता, पंजीयन प्रक्रिया, क्षमता आदि संबंधित जानकारी उपलब्ध कराएंगे। रोजगार केन्द्र एक निर्देशन एवं परामर्श केन्द्र के रूप में भी विद्यार्थियों को अपनी अभिक्षमता के अनुसार पाठ्यक्रम या कोर्स का चुनाव करने में उपयोगी हो सकते हैं। इसके लिए विशेषज्ञों की सेवाएं अंशकालीन–स्तर पर ली जा सकती हैं।

निजी भागीदारी प्रबंधन, संचालन तक सीमित न होकर प्रशिक्षण प्रदान करने की प्रक्रिया में भी अपनी विशेषज्ञता उपलब्ध कराएं। सघन प्रशिक्षण को रोजगार प्राप्ति से जोड़ने को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। प्लेसमेंट की प्रक्रिया से प्रशिक्षकों, संस्थाओं को भी जोड़ा जा सकता है। इसके लिए प्लेसमेंट बढ़ने पर प्रोत्साहन के मानदण्ड निर्धारित कर सकते हैं। संस्थाएं प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन रजिस्टर में आंकड़े दर्ज करने तक सीमित न रखे इसके लिए संस्था का समयबद्ध मूल्यांकन, प्रमाणीकरण भी आवश्यक है। एक बार किसी संस्था को वित्तीय स्वीकृति मिल जाती है, उसके बाद भी निर्धारित मानकों पर सतत मूल्यांकन होना चाहिए। गुणवत्तापूर्ण कौशल द्वारा रोजगार प्राप्ति बढ़ाने वाले प्रशिक्षकों, संस्थाओं को भी आर्थिक प्रोत्साहन मिलना चाहिए। प्रशिक्षुओं से कौशल विकास कार्यक्रमों, संस्थाओं के बारे में फीडबैक लिया जा सकता है। प्रशिक्षण प्रदान करने से पूर्ण प्रशिक्षण आवश्यकताओं का मूल्यांकन होना एवं प्रशिक्षण समाप्त के पश्चात् सीखे गए कौशल का मूल्यांकन एवं पुनर्मूल्यांकन आवश्यक है।

कौशल विकास की राह में चुनैतियां

कौशल विकास कार्यक्रमों में प्रदान किए जाने वाले कौशलों का निर्धारण वर्तमान आवश्यकताओं के साथ–साथ भविष्य में संभावनाओं को ध्यान में रखकर भी किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि युवा किसी विशेष कौशल को सीखकर निकले, उसके बाद परिस्थितियों, तकनीक, नवाचार आदि के कारण सिखाए गए कौशल की उपयोगिता खत्म हो जाए। इसलिए प्रशिक्षण कार्यक्रम की डिजाइन पर नीति निर्धारकों का गहन चिंतन आवश्यक है।

कौशल विकास योजना से महिलाओं का विकास

कौशल विकास योजना का लक्ष्य महिलाओं की उन्नति, विकास और सशक्तीकरण सुनिश्चित करना है। इसका उद्देश्य महिलाओं के विकास के लिए सकारात्मक, आर्थिक एवं सामाजिक नीतियों के माध्यम से ऐसा अनुकूल माहौल तैयार करना है, जिससे महिलाएं अपनी क्षमता को साकार कर सकें और शिक्षा, रोजगार, समान पारिश्रमिक एवं सामाजिक सुरक्षा का लाभ उठा सकें। महिलाओं में कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम केन्द्र व राज्य सरकारों द्वारा चलाए जा रहे हैं। सरकार ने कई विभागों और संस्थाओं को प्रशिक्षण कार्यक्रम से जोड़ा है। यह विभाग महिलाओं में कौशल विकास के प्रशिक्षण के साथ उन्हें रोजगार प्रदान करेगा। इस कार्यक्रम के तहत महिलाओं को बैंकिंग कोर्स, सिलाई–कटाई, कम्प्यूटर प्रशिक्षण, नर्सिंग, ब्यूटीपार्लर, मशरूम उत्पादन, हस्तशिल्प आदि का प्रशिक्षण दिया जाता है। इस कार्यक्रम के तहत रुचि के अनुसार काम का प्रशिक्षण दिया जाता है। सरकार इन योजनाओं का प्रचार–प्रसार भी तेजी से कर रही है ताकि अपनी बहू–बेटियों को तकनीकी प्रशिक्षण देकर उन्हें सशक्त किया जा सके और आत्मनिर्भर बनाया जा सके।

(लेखक पेशे से अधिवक्ता है।)
ई–मेलः lalan_kumar41@yahoo.com